



राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
नोडल एजेन्सी
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्रमांक 11/06/परीक्षा/2018, दिनांक 15.07.2019


विज्ञप्ति

राज्य पात्रता परीक्षा-2018 की पात्रता से निरस्त अभ्यर्थी

01. उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु "राज्य पात्रता परीक्षा-2018" का आयोजन म.प्र. लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया। आयोग के द्वारा विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2018, दिनांक 06.10.2018 में राज्य पात्रता परीक्षा-2018 का विज्ञापन, वि.क्र. 04/06/परीक्षा/2018, दिनांक 29.12.2018 में परीक्षा के प्रवेश-पत्र जारी एवं वि.क्र. 09/06/परीक्षा/2018, दिनांक 05.04.2019 सेट परीक्षा-2018 का परीक्षा परिणाम (प्रावधिक) में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि सेट-2018 के पात्रता के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह/अपात्र घोषित किया जावेगा। उक्त विज्ञप्तियों के माध्यम से शर्तों एवं निर्देशों को आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया था।
02. सेट-2018 परीक्षा में 19 विषयों हेतु शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्त ऑनलाईन आवेदन-पत्रों एवं दस्तावेजों की जांच उपरांत आवेदन-पत्रों में विसंगतियों के कारण (अभ्यर्थियों की स्नातकोत्तर उपाधि में विसंगति, स्नातकोत्तर स्तर पर अर्हता का प्रतिशत कम होना इत्यादि कारण से) निम्न पात्र अभ्यर्थियों को सेट-2018 की पात्रता से निरस्त किया जाता है।

CO104334	CO109347	HN121444	HN122441
HN118765	HN127659	LS109403	PS130650

03. शेष अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों में विसंगति को निराकरणकृत कर, पात्र हुये अभ्यर्थियों के सेट-2018 परीक्षा के प्रमाण-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं।


परीक्षां नियंत्रक (सेट)
राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ